प्रकरण क्रमांक R 5139 III/16

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0

1. अयोध्या सिंह } पुत्रगण मेजर सिंह सभी का पेशा खेती निवासी ग्राम
2. अशोक सिंह } अगरहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
3. कृष्ण सिंह }
4. सीताराम सिंह }तनय गोकरण सिंह पेशा खेती निवासी ग्राम अगरहा सर्किट कोर्ट तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरुद्ध

1. श्रीमती फूलमती विधवा पत्नी सुदामा सिंह
2. ललन सिंह }
3. रविराज सिंह }
4. राघवेन्द्र सिंह }
5. श्री रणदेव सिंह }
6. वीर सिंह तनय दयानाथ सिंह
7. श्रीमती कमला सिंह विधवा पत्नी रामशरण सिंह
8. अरमेन्द्र सिंह } पुत्रगण रामशरण सिंह
9. पुष्पेन्द्र सिंह }
10. कल्याण सिंह तनय दयानन्द सिंह
11. जयभान सिंह तनय रामप्रताप सिंह
12. दिगम्बर सिंह } पुत्रगण गोकरण सिंह
13. लखन सिंह }
14. लक्ष्मण सिंह }
15. यादवेन्द्र सिंह तनय घनश्याम सिंह

सभी निवासी ग्राम अगरहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

16. शासन म0प्र0 ---- अनावेदकगण

Presented by Shri लालबहादुर सिंह Advocate/Applicant on 29-2-16

Commissioner's office Rewa Division Rewa (M.P.)

29/2/16

39
29/2/16

OS

अशोक सिंह

आवेदन-पत्र निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय रीवा पारित प्रकरण क्रमांक 32/अ/74/2010-11 दिनांक 15/2/2016

आवेदन/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

आवेदन-पत्र के आधार निम्न है:-

(1) यह कि आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि 132 के नक्शा सुधार का आवेदन चल रहा था जिसके सम्बन्ध में मौके की नाप कर जांच प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा एवं फील्ड बुक तैयार कर दिनांक 11/3/2015 को प्रकरण में संलग्न की गई। आवेदक क्रमांक 1, 2, 3, उक्त जांच प्रतिवेदन पर आवेदक क्र0 1, 2, व 3 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि भूमि नं0 132 का मूल नम्बर 113 है जिसके नये नम्बर 132, 133, 134, 135, 136 व 137 कायम है। नया नम्बर 135 के सम्बन्ध में फील्ड बुक एवं प्रतिवेदन के यह भिन्नता दर्शायी गयी कि फील्ड बुक में 135 के 7 उपखण्ड के अलावा भी 135 में एक पाटी है जो सीताराम सिंह की कब्जे दखल की है, किन्तु प्रतिवेदन में मात्र 7 उपखण्ड ही बताया गया है। तथा उसका रकबा 0.68 ए0 का होना उल्लेख है यह 0.68 ए0 रकबा 7 उपखण्ड का है कि नक्शे में दर्शाये गये 8 पाटियों का है यह स्पष्ट न होने से नाप को सही मानकर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध होने के कारण कायम रखने योग्य नहीं है।

(3) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि सभी हित बद्ध पक्षकारों को सूचना की गई है। प्रकरण में प्रस्तुत फील्ड बुक में भूमि नं0 135 में सीताराम सिंह की पाटी दर्शायी गयी है सीताराम सिंह

अशोक सिंह

-3

(109)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक R-5139-II/16 जिला– रीवा

अयोध्या सिंह वगैरः विरूद्ध फूलमती सिंह व अन्य

(1)	(2)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री लाल बहादुर सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 32/अ-74/2012-11 में पारित आदेश दिनांक 15.02.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य